

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक- 1516 /बदायू-बिल्सी-बिजनौर मार्ग, दिनांक, लखनऊ, जनवरी 18 , 2017
सेवा में,

अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र,
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, से0-एच, अलीगंज,
लखनऊ ।

विषय : विश्व बैंक पोषित बदायू-बिल्सी- बिजनौर मार्ग (एस0एच0-51) के चौड़ीकरण हेतु सम्मल में किमी0 58.500 से किमी0 107.500 तक 38.8 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों के पातन तथा अमरोहा में किमी0 107.000 से किमी0 137.500 तक 24.4 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों के पातन कुल 63.2 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 11079 वृक्षों के पातन की अनुमति ।

सन्दर्भ : भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/06/10/2016/एफसी/472, दिनांक 10.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे जिसके द्वारा संशोधित लागत-लाभ विश्लेषण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक-34/2काम(1)-वि0बै0परि0वृ0/16, दिनांक 11.01.2017 द्वारा लागत-लाभ विश्लेषण इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है जिसे मूल में संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करे।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

9